Acm [illegible]

फर्द अहकाम

पावना बनाम सरकार

ष्य

41/25 TA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
7/08/25	पत्रावली प्रस्तुत / वकील प्रार्थी उप० बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या— 48/2025

1. जवाना पुत्र छोटू
2. बोदूराम पुत्र छोटू
3. रामू पुत्र छोटू
4. सुखदेव पुत्र छोटू समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत जरिये हाल सरपंच बुगालिया पंचायत समिति जालसू जिला जयपुर।

........मुख्य अप्रार्थीगण

3. अर्जुन लाल पुत्र गोगराज
4. कैलाश पुत्र गोगराज
5. काना पुत्र गेवा
6. गोपाल पुत्र गोगराज
7. नन्दा पुत्र गेवा
8. शीवाराम पुत्र गंगला
9. रामपाल पुत्र गंगला
10. हीरा पुत्र गंगला।
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर।
11. गांगू पुत्र छोटू जाट

तरतीबी अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1955

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 07.08.2025

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बुगालिया पटवार हल्का बिचपड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 0.030 हैक्टेयर गैर मु.चाह खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2400 हैक्टेयर बारानी—2 खसरा नम्बर 144 रकबा 0. 0100 हैक्टेयर गै.मु.चाह, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर बारानी—2, खसरा नम्बर 146 रकबा 2.2700 हैक्टेयर [illegible] 1, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.7900 हैक्टेयर बारानी 3 खसरा नम्बर 148 रकबा 0.8600 हैक्टेयर चाही कुल किता 7 कुल रकबा 4.3500 हैक्टेयर स्थित है के साबिक खसरा नम्बर 34, 101, 33 मिन, 102 है। विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 101 की दक्षिणी पूर्वी उत्तरी सीमा पर खसरा नम्बर 100 व 103 स्थित है जिनके हाल खसरा नम्बर 310/505 व 147/520 है। जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित साबिक खसरा नम्बर 101 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 141, 142, 144, 146, 147, 148 है के खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थी 3 लगायत थे जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के मदो में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। दोराने भू प्रबंध कार्यवाही प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीण की आराजी का राजस्व नक्शा तैयार करते समय गत साबिक राजस्व नक्शे से वर्तमान राजस्व नक्शा छोटा तैयार करते हुये प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बंध व सरोकार नही हैं तथा उक्त आराजी आज भी प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही भू प्रबंध कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण का राजस्व नक्शा साबिक नक्शे से छोटा तैयार कर दिया जिसका राजस्व कर्मचारियो को कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही है। भू प्रबंध कर्मचारीयो द्वारा केवल पूर्ववर्ती राजस्व इन्द्राज की पुर्नावर्ती करना मात्र होता है लेकिन राजस्व भू प्रबंध कर्मचारियो द्वारा सहवन से उक्त राजस्व नक्शा कम कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण तरतीवी अप्रार्थीगण के पूर्वज निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा दौराने सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के दोरान प्रार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी भूमि को राजस्व नक्शा छोटा कर बिना किसी क्षेत्राधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम लगा दी। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध अधिकारियो व कर्मचारियो को पूर्व इन्द्राज के आधार पर ही प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व नक्शा साबिक नक्शा से छोटा कर दिया। प्रार्थीगण अधिकारी है कि गद नम्बर 3 में वर्णित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी को हजफ कर उक्त आराजी का साबिक नक्शा अनुसार नक्शा तैयार कर प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वो प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे इसलिये प्रार्थीगण द्वारा यह वाद पत्र बाबतत स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया जा रहा है। तथा प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त [illegible] किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न तो स्वंय उत्पन्न करे न ही अपने एजेन्ट [illegible] आदी से करवाये न ही प्रार्थीगण के पुख्ता मकानात से बेदखल करने की कार्यवाही करे। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 10–12–2024 को एक नोटिस प्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया गया दिनांक 10–02–2025 को वाद अधीन भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत कारित की गई तथा प्रार्थीगण को कब्जा खाली करने की ऐलानिया धमकी दी जिससे प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ और यह वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश [illegible] काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है [illegible] संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजी के [illegible] कारित कर देंगे तथा भूमि से जबरन बेदखल कर [illegible] अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया वाके ग्राम बीड़ [illegible] तहसील व जिला जयपुर मे विवादित आराजीयात की मद संख्या 2 में वाके ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 0.030 हैक्टेयर गैर मु.चाह खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2400 हैक्टेयर बारानी–2 खसरा नम्बर 144 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु.चाह, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.1500 हैक्टेयर बारानी–2, खसरा नम्बर 146 रकबा 2.2700 हैक्टेयर चाही 1, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.7900 हैक्टेयर बारानी 3 खसरा नम्बर 148 रकबा 0.8600 हैक्टेयर चाही कुल किता 7 कुल रकबा 4.3500 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से कोई मजाहमत मदाखल नही करे ना ही उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे ना ही अन्य से करावे। ना ही किसी को बेचान हस्तान्तरण नहीं करे मौके की व राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रूप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की भूमि खसरे व नक्शे मे तरमीम के संबंध में पेश किया गया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया की अप्रार्थीगण उक्त आराजी को खुद फुर्द कर रहे हो ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर